



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख, 1942 (श०)

संख्या- 203 राँची, शुक्रवार,

15 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

16 मार्च, 2020

संख्या-5/आरोप-1-343/2014 का०-1976--श्री कामदेव रजक, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-779/03, गृह जिला- देवघर), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चंदवा, लातेहार के विरुद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3380/रा०, दिनांक 17.07.2015 के माध्यम से उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-345/स्था०, दिनांक 03.06.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री रजक के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप सं०-1. Mutation Law का उल्लंघन कर कब्जा हस्तांतरण हेतु एकरारनामा के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति करना- श्री कामदेव रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा अंचल के 1. दाखिल खारिज वाद सं० 176/09-10 में श्री तजमुल हुसैन एवं तफजुल हुसैन बनाम Corporate Ispat Alloys Ltd. 177/09-10 में श्री भगवती चरण भारती एवं अन्य बनाम Corporate Ispat Alloys Ltd. 178/09-10 में राजेश किशोरनाथ शाहि Corporate Ispat Alloys Ltd. 424/11-12 में साधु उराँव एवं फुलमनी देवी बनाम Corporate Ispat Alloys Ltd. 09/10-11 में श्री बालदेव भगत बनाम Corporate Ispat Alloys Ltd. में मात्र एकरारनामा के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृति किया गया है। Mutation Law के अनुसार एकरारनामा के आधार पर दाखिल खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं है। स्पष्ट है कि प्रावधान का उल्लंघन कर दाखिल खारिज किया गया है।

आरोप सं०-2. एकरारनामा के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज करने के कारण समुचित स्टाम्प नहीं देने के कारण राजस्व की क्षति- दाखिल खारिज वाद सं० 424/11-12 जो आदिवासी रैयत श्री साधु उराँव आदि की भूमि है, को उपायुक्त की अनुमति के बगैर साधारण एकरारनामा के आधार पर रकबा 3.00 एकड़

भूमि Corporate Ispat Alloys Ltd. चन्दवा को बेचा गया है और श्री कामदेव रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति की गयी है।

आरोप सं०-3. *छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 का उल्लंघन कर अनुसूचित जनजाति के भूमि का अवैध रूप से हस्तान्तरण कराना-* दाखिल खारिज वाद सं० 09/10-11 में जमाबंदी रैयत श्री छोटन उराँव की भूमि को रकबा 13.38 एकड़ भूमि एकरारनामा के आधार पर बिना उपायुक्त के अनुमति के बिना बेचा गया और श्री कामदेव रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति की गयी है।

आरोप सं०-4. *अनुसूचित जाति की जमीन को अवैध रूप से दाखिल खारिज करना-* श्री कामदेव रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 11/10-11 श्री राजेश किशोर साही एवं शुभम साही के द्वारा भूमि अन्तरण के कारण मौजा चकला थाना सं० 238 खाता 154 प्लॉट 910 रकबा 0.61 एकड़ जमीन Corporate Ispat Alloys Ltd. के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृति की गयी है जबकि खतियान के अनुसार एवं जमाबंदी पंजी के अनुसार यह जमीन श्री जगलाल दुसाध के नाम से है।

आरोप सं०-5. *अनुसूचित जाति के जमीन को अवैध रूप से बिक्री कर दाखिल खारिज करना-* श्री कामदेव रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा जमाबंदी पंजी में वर्णित भूमि खतियान के अनुसार सरकारी भूमि गैरमजरूआ मालिक है, सरकारी भूमि किस्म जमीन परती कदिम एवं जंगल है। दाखिल खारिज वाद सं० 419/10-11 के द्वारा Corporate Ispat Alloys Ltd. को बेच दिया गया है और मालगुजारी रसीद के आधार पर श्री प्रभाकर मिश्रा, पिता- श्री बालकृष्ण मिश्रा, ग्राम चन्दवा के नाम से जमाबंदी पंजी में उल्लेख है। सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना गैरमजरूआ मालिक जंगल-झाड़ी परती कदीम में नाला जमीन को दाखिल खारिज हेतु नामान्तरण की स्वीकृति की गई।

आरोप सं०-6. *सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना गैरमजरूआ मालिक जंगल प्रति कदीम एवं प्रति नाला जमीन का दाखिल खारिज करना-* श्री कामदेव रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चन्दवा दाखिल खारिज वाद सं० 274 के द्वारा गैर मजरूआ मालिक भूमि के द्वारा गैर मजरूआ मालिक भूमि खाता सं० 23,39,55,61 प्लॉट सं० 421,1022,325 एवं अन्य कुल रकबा 30.88 एकड़ भूमि Corporate Power Alloys Ltd. को बेच दिया गया है तथा नामान्तरण दाखिल खारिज हेतु स्वीकृति की गयी है।

आरोप सं०-7. *मौजा कामता अंचल चन्दवा थाना नं० 284 में दाखिल खारिज वाद सं० 406/10-11 में नामान्तरण हेतु स्वीकृति प्रदान करना-* श्री कामदेव रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा मौजा कामता के खाता नं० 47 प्लॉट 104 रकबा 10.00 प्लॉट सं० 426 रकबा 10.00 कुल रकबा 20.00 एकड़ का हस्तान्तरण श्री जटाधारी मिश्रा पिता श्री लक्ष्मण मिश्रा के द्वारा बिक्री Corporate Power Alloys Ltd. के पक्ष में हस्तान्तरण केवाला सं० 2792 दिनांक 19.11.2010 के आधार पर किया गया है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि जमींदारी बन्दोबस्ती से प्राप्त है इसमें रिटर्न का उल्लेख नहीं है तथा दाखिल खारिज वाद सं० 406 नामान्तरण की स्वीकृति दी गयी है, जो संदेहास्पद है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7190, दिनांक 10.08.2015 द्वारा श्री रजक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं विभागीय पत्रांक-10118, दिनांक 30.11.2015 द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। फलस्वरूप आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-662, दिनांक 27.01.2016 द्वारा श्री रजक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प सं०-7840, दिनांक-09.09.2016 द्वारा श्री हक के स्थान पर श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-101, दिनांक 21.03.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री रजक के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित 7 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री रजक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 50% राशि की कटौती करने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, विभागीय पत्रांक-867, दिनांक 30.01.2019, पत्रांक-4086, दिनांक 27.05.2019 एवं पत्रांक-5195, दिनांक 01.07.2019 द्वारा श्री रजक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री रजक के पत्र, दिनांक-18.07.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

श्री रजक से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई, समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए संचालन पदाधिकारी पर कतिपय आरोप लगाया गया जबकि विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया।

समीक्षोपरान्त श्री रजक द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 50% राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-9348, दिनांक 25.11.2019 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-351, दिनांक 12.02.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः श्री कामदेव रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चंदवा, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 50% राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कामदेव रजक, सेवानिवृत्ति झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
